पत्र सं०–6 एस०एस०(6)04 / 2025–2050 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

स्मिता सिन्हा, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–08 / 05 / 2025.

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" हेतु कुल ₹ 1499.900 लाख (चौदह करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार रुपया मात्र) की लागत राशि की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" हेतु कुल ₹ 1499.900 लाख (चौदह करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार रुपया मात्र) की लागत राशि की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I, II, III (क), III (ख), IV(क), IV(ख), V, VI, VII एवं VIII के रूप में संलग्न है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुओं / मत्स्य विक्रेताओं को मत्स्य शिकारमाही करने तथा अपने मछली को बेचने के लिए उपकरणों / सामग्रियों को एक पैकेज के रूप में निःशुल्क तथा मत्स्य परिवहन हेतु थ्री–व्हीलर वाहन–आईस बाक्स सहित अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इन मछुओं / मत्स्य विक्रेताओं / मत्स्य वेंडरों को मछली पकड़कर हाइजेनिक रूप से बेचने तथा दूर–दराज़ जलस्रोतों / उत्पादन स्थल से मत्स्य शिकारमाही कर सुरक्षित हाईजेनिक अवस्था में मत्स्य बाजार तक पहुँचाने में सहुलियत होगी जिससे इनका सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हो सकेगा।

3. योजना का लाभ–
   (i). मछुओं / मत्स्य विक्रेताओं को अपनी आजीविका में मदद होगी।
   (ii). मत्स्य जलस्रोतों से बाजार तक सुरक्षित एवं हाइजेनिक रूप में मछली पहुँचाने में मदद होगी।
   (iii). मछुओं / मत्स्य विक्रेताओं अपने मत्स्य उत्पाद को हाइजेनिक रूप से बिक्री कर सकेंगे जिससे इन्हें अधिक लाभ होगा।
   (iv). मछली के अलावे मत्स्य पालन से जुड़े कई इनपुट सामग्रियों का परिवहन हो सकेगा जिससे इन्हें आजीविका का एक अतिरिक्त साधन उपलब्ध होगा जिसके फलस्वरूप इनके आमदनी में अभिवृद्धि होगी।

(v). मछलियों को अधिक समय तक सुरक्षित, ताजी एवं हाइजेनिक रूप से रखने में सहायता होगी।

(vi). मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी, सुरक्षित एवं उचित मूल्य पर मछली उपलब्ध हो सकेगा।

(vii). मत्स्य विपणन के हाइजेनिक प्रणाली को लेकर मछुओं/मत्स्य विक्रेताओं के बीच जागरूकता बढ़ेगी जिससे इन मत्स्य विक्रेताओं को एक स्मार्ट लुक भी प्रदान हो सकेगा।

(viii). रोजगार के उपयोगी साधन उपलब्ध होने से व्यापार बढ़ेगी जिससे इनकी वार्षिक आय में अभिवृद्धि होगी।

4. इस योजना के तहत कुल 4820 मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट तथा 534 थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन वितरण का लक्ष्य है जिसपर अनुदान स्वरूप क्रमशः **₹** 698.90 लाख एवं **₹** 801.00 लाख अर्थात् कुल ₹ 1499.900 लाख (चौदह करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार रुपया मात्र) राशि व्यय होने का अनुमान है। साथ ही योजना के सफल क्रियान्वयन होने पर 5354 (4820+534) शिकारमाही एवं विपणन से संबंधित मत्स्य विक्रेता लाभुक लाभान्वित होंगे। इस योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 तथा आगामी वित्तीय वर्षो में किया जाएगा।

5. राज्य की विशाल एवं विविध मत्स्य संपदा जो तालाब/पोखर, मन, चौर, झील, जलाशय एवं नदियाँ आदि के रूप में फैला हुआ है, में मात्स्यिकी विकास की असीम संभावनाएँ मौजूद है। मात्स्यिकी की अंतर्निहित संभावना के कारण ही इसे राज्य के "प्रथम कृषि रोड मैप" से ही थ्रस्ट एरिया के रूप में चिन्हित किया गया है। तृतीय कृषि रोड मैप के पश्चात् राज्य मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब पहुँच गया है। वर्तमान में राज्य का मत्स्य उत्पादन 8.89 लाख टन वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 8.73 लाख टन (2023–24) तक हो गया है। राज्य की मत्स्य एवं मात्स्यिकी की सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को दूर करने में अहम भूमिका हो सकती है। इसी कड़ी में मछुओं को सामाजिक आर्थिक उत्थान को दृष्टिपथ में रखते हुए मछुआ केन्द्रित मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन प्रणाली को आधुनिक, प्रभावी, हाईजेनिक, स्वास्थ्यकर, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हासिल करने के उद्देश्य को दृष्टिपथ में रखते हुए "मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट वितरण योजना" तथा "मत्स्य परिवहन वाहन योजना" का सूत्रण *सात निश्चय–2* के तहत की जा रही है जिससे मछुओं को न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि इसे संगठित एवं व्यवस्थित क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु मजबूत आधार प्रदान किया जा सकेगा।

I मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत मुख्यतः दो अवयव है–

(क) मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट वितरण की योजना।

(ख) मत्स्य परिवहन वाहन योजना।

(क) <u>मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट वितरण की योजना की रूप रेखा–</u>

(i) राज्य का मत्स्य बाजार बहुत ही असंगठित, अनहाइजेनिक एवं आधारभूत सुविधा विहीन है। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र के खुदरा मत्स्य बाजार भी सड़क के किनारे खुले में, नाला पर आदि अस्वस्थ्यकर जगहों पर अवस्थित हैं। इन मत्स्य विक्रेताओं के बीच जागरूकता की कमी एवं आर्थिक स्थिति के कारण अपनी मछली को जमीन अथवा प्लास्टिक सीट पर रखकर बिक्री की जाती है। जिलों से प्राप्त मत्स्य विक्रेताओं की बाजार की विवरणी के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर 3600 से अधिक जगहों पर खुदरा मछली बिक्री की जाती है जिसमें औसतन 5–6 मत्स्य विक्रेता होते हैं। इन मत्स्य विक्रेताओं में महिलाओं की संख्या करीब 40–45 प्रतिशत

है। इस प्रकार राज्य में लगभग 24,000 मछुआ/मत्स्य विक्रेता इस व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। प्रस्तावित योजना के द्वारा इन मत्स्य विक्रेताओं को इनके मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन में उपयोगी सामग्रियों को एक साथ किट के रूप में वितरण की योजना है।

(ii) प्रस्तावित "मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट वितरण की योजना" का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलो में किया जायेगा।

(iii) इस योजना के तहत् राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मछुओं/मत्स्य विक्रेताओं/ मत्स्य वेंडरों जो सड़क के किनारे, चौक चौराहों, बाजार, हाट आदि जगहो पर मत्स्य विपणन का कार्य करते हैं को चिन्हित कर लाभान्वित किया जायेगा।

(iv) मत्स्य विपणन किट की विशिष्टता– योजना के तहत मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन में प्रयुक्त सामग्रियों यथा फेंका जाल, गील नेट, हांडी, तराजू, इनसुलेटेड–आईस–बॉक्स आदि को किट के रूप में चिन्हित कर पैकेज तैयार की गई है जिसका इकाई लागत अधिकतम मो० 14500 रु० प्रति किट निर्धारित है (अनुलग्नक–II संलग्न)।

(v) इस योजना के तहत राज्य के मछुओं/मत्स्य विक्रेताओं/मत्स्य वेंडरों–लाभुकों को "शत प्रतिशत अनुदान" पर मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित इकाई लागत से अधिक राशि के व्यय होने की स्थिति पर अतिरिक्त राशि का वहन लाभुक के द्वारा स्वयं किया जायेगा। उक्त मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट (पैकेज) के वास्तविक क्रय मूल्य तथा निर्धारित इकाई लागत दोनों में से जो भी न्यूनतम होगा उसी न्यूनतम राशि के आधार पर आपूर्तिकर्त्ता एजेंसी को राशि का भुगतान किया जाएगा।

(vi) इस योजना का लाभ एक व्यक्ति/परिवार अथवा जीविका समूह/एफ०एफ०पी०ओ० को अधिकतम "मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट" (पैकेज) की एक इकाई की अनुमान्यता होगी।

(vii) इस योजना के तहत कुल 4820 मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट निःशुल्क वितरण का लक्ष्य है जिसपर अनुदान स्वरूप कुल ₹ 698.900 लाख (छः करोड़ अंठानबे लाख नब्बे हजार रुपया मात्र) राशि व्यय तथा 4820 मत्स्य विक्रेता लाभुक लाभान्वित होंगे।

(ख) <u>मत्स्य परिवहन वाहन योजना की की रूप रेखा–</u>

(i). मछली का पालन एवं उत्पादन गाँव के तालाबों/पोखरों तथा दूर–दराज़ के जलस्रातों में होता है। वहाँ से बाजार तक मछली लाने में विलम्ब से मछली जल्दी खराब होने लगती है जिससे मछुओं को आर्थिक क्षति तथा उपभोक्ताओं को भी ताजी मछली मिलने में कठिनाई होती है। प्रस्तावित योजना के तहत चयनित मछुआरों को "थ्री–व्हीलर–आईस बाक्स सहित वाहन" के खरीद पर वित्तीय सहायता राशि (अनुदान) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii). इस योजनान्तर्गत राज्य के इच्छुक मत्स्य बिक्रेता जो थोक/खुदरा मत्स्य बिक्री/मत्स्य वेंडिंग का कार्य करते हो आवेदक होंगे तथा विधिवत चयन होने पर, निर्धारित भौतिक लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान पर थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii). योजनान्तर्गत थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन का इकाई लागत ₹ 3.0 लाख (तीन लाख रूपया) निर्धारित है।

(iv). इस योजना के तहत अनुदानित दर पर राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन अर्थात कुल 534 थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन वितरण का प्रस्ताव है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा।

(v). योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत का शेष 50 प्रतिशत राशि लाभुक के द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन किया जाएगा। निर्धारित इकाई लागत से अधिक राशि के व्यय होने पर लाभुक के द्वारा स्वयं अथवा बैंक ऋण से वहन किया जाएगा।

(vi). योजनान्तर्गत एक व्यक्ति/परिवार को अधिकतम एक थ्री व्हीलर अथवा फोर व्हीलर वाहन–आईस बाक्स सहित का लाभ की अनुमान्यता होगी।

(vii). इस योजना पर कुल ₹ 801.00 लाख (आठ करोड़ एक लाख) मात्र रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस योजना के तहत 534 लाभुक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

II प्रस्तावित मछुआ कल्याण योजना के तहत कुल ₹ 1499.900 लाख (चौदह करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार रुपया मात्र) राशि अनुदान के रूप में व्यय होने का अनुमान है (विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I संलग्न)।

III इस योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 तथा आगामी वर्षो में भी किया जायेगा।

IV इस योजना के तहत लाभुकों का आर्हता एवं चयन, आपूर्ति हेतु एजेन्सी का चयन, अनुदान भुगतान एवं अन्य क्रियान्वयन निदेश की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–VIII के रूप में संलग्न है।

6. इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि को निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से आहरित कर बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में अंतरित किया जाएगा तथा जिलों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में सम्बन्धित एजेंसी के बैंक खाता में अंतरित किया जाएगा। जिलावार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (अनुलग्नक–VI एवं VII संलग्न)।

7. इस योजनान्तर्गत जिलों को आवंटित भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर–जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा।

8. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सम्बन्धित मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंधकारिणी समिति को पूरी योजना की जानकारी देंगे। अपरिहार्य कारणों से मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंधकरिणी की बैठक ससमय नहीं होने पर समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष को इस योजना की जानकारी देंगे।

9. इस योजना के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमति से दिशा निदेश/आदेश जारी किया जा सकेगा।

10. इस योजना हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

11. योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृति राशि के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

12. बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता– इस मुख्यमंत्री कल्याण योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0104 –तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104 के तहत विषय शीर्ष–0104.33.01 सब्सिडी मद प्राप्त बजटीय उपबंध राशि से किया जायेगा।

13. दिनांक–15.04.2025 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)04/2025 के पृष्ठ 59–58/प०

14. चूँकि यह एक नयी योजना है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। अतएव वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)04/2025 के पृष्ठ–19/टि० एवं दिनांक–30.04.2025.

15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त हैं। संचिका संख्या–6 एस० एस०(6)04/2025 के पृष्ठ–18/टि० तथा डायरी संख्या–162, दिनांक–16.04.2025.

16. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे तथा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

17. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

7/5/2025

(स्मिता सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)04 / 2025– 2050 / पटना–15, दिनांक–08/ 05 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा) / योजना एवं विकास विभाग / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

7/5/2025

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)04 / 2025– 2050 / पटना–15, दिनांक–08/ 05 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना / सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/5/2025

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)04 / 2025– 2050 / पटना–15, दिनांक–08/ 05 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा / लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

7/5/2025

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)04 / 2025– 2050 / पटना–15, दिनांक–08/ 05 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/5/2025

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)04 / 2025– 2050 / पटना–15, दिनांक–08/ 05 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/5/2025

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)04 / 2025– 2050 / पटना–15, दिनांक–08/ 05 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

7/5/2025

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)04 / 2025– 2050 / पटना–15, दिनांक–08/ 05 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/5/2025

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं०–02, बजट शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0104 –तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104 के अन्तर्गत राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना पर अनुमानित व्यय एवं विपत्रों के निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विषयशीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6
1	मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट योजना	0104.33.01–सब्सिडी	₹698.900	निदेशक मत्स्य	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2	मत्स्य परिवहन वाहन योजना के तहत थ्री–व्हीलर वाहन–आईस बाक्स सहित		₹801.000		
		कुलः–	₹1499.900		

(चौदह करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार रुपया मात्र)

2050
08/05/25

7/5/2025

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–II

मत्स्य शिकारमाही एवं मत्स्य विपणन किट योजना हेतु प्रति किट इकाई लागत विवरणीः–

क्र0	अवयव	Specification (विशेष विवरण)	इकाई	इकाई लागत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	फेंका जाल	Height - 11 feet Circumference - 21 feet Sinker - 6kg, Mesh Size -1.25"(Inch)	01	5500.00	
2	हांडी (एल्युमीनियम) बड़ा	25 लीटर	01	2500.00	
3	तराजू (इलेक्ट्रीक)	15 कि0ग्रा0 तक क्षमता	01	2500.00	
4	इनसुलेटेड आईस–बॉक्स	25 लीटर क्षमता	01	3000.00	
5	गिल नेट/फांसा जाल मेस साईज 04cm से ऊपर	1 कि0ग्रा0 तक	01	1000.00	
			कुल :–	**14500.00**	

नोट :– उपर्युक्त वर्णित घटक/अवयव एवं मूल्य में निर्धारित कुल राशि रुपया 14500.00 के अन्तर्गत परिवर्तन हो सकता है।

2050
08/05/25

7/5/2025

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–III(क)
घोषणा–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ...., पिता ...., ग्राम ...., पोस्ट ...., प्रखंड ...., जिला .... का निवासी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं **"मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" के अन्तर्गत** मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट योजना का निःशुल्क लाभ लेने को इच्छुक हूँ। मैं खुदरा/थोक/चट्टी/हाट/सड़क किनारे/मत्स्य वेंडिंग आदि मत्स्य विपणन का कार्य कर रहा/रही हूँ।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट की आपूर्ति करने हेतु मत्स्य निदेशालय द्वारा सूचिबद्ध एजेंसी में से .... एजेंसी का चयन किया जाता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–III(ख)
अंशदान संबंधी घोषणा–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ...., पिता ...., ग्राम ...., पोस्ट ...., प्रखंड ...., जिला .... का निवासी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं **''मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना'' के अन्तर्गत** मत्स्य परिवहन वाहन योजना के तहत थ्री–व्हीलर वाहन–आईस बाक्स सहितका लाभ पचास प्रतिशत अनुदानित दर पर लेने हेतु इच्छुक हूँ। मैं खुदरा/थोक/चट्टी/हाट/सड़क किनारे/मत्स्य वेंडिंग आदि मत्स्य विपणन का कार्य कर रहा/रही हूँ।

इस योजना से लाभ लेने हेतु मैं मो० .... (इकाई लागत का 50%) रूपया चिन्हित एजेंसी को चेक/नकद/डी०डी० के माध्यम से जमा कर पावती जिला मत्स्य कार्यालय .... में ....को जमा किया।

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–IV(क)
सहमति–पत्र

मैं श्री / श्रीमती / सुश्री ...., पिता / पति श्री................................ ...., ग्राम ...., पोस्ट ...., प्रखंड ...., जिला .... का निवासी **"मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" के अन्तर्गत** मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट सामग्री प्राप्त किया। आपूर्ति की गई किट सामग्रियाँ गुणवत्तापूर्ण है तथा इस पर देय सहायता राशि (100 प्रतिशत सब्सिडी) मो० **चौदह हजार पाँच सौ रुपया मात्र** मेरे द्वारा चयनित एजेंसी .... के बैंक खाते में भुगतान करने का अनुरोध जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य पदाधिकारी, ... से करता / करती हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–IV(ख)

सहमति–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ...., पिता/पति श्री.................................
........................., ग्राम ...., पोस्ट ...., प्रखंड ....
........................., जिला .... का निवासी **"मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" के अन्तर्गत** मत्स्य परिवहन वाहन योजना के तहत थ्री–व्हीलर वाहन–आईस बाक्स सहित प्राप्त किया। आपूर्ति की गई वाहन पर देय सहायता राशि (अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी) मो०.......... .... मेरे द्वारा चयनित एजेंसी .... के बैंक खाते में भुगतान करने का अनुरोध जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य पदाधिकारी, ... से करता/करती हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–V
गुणवत्ता संबंधी संयुक्त जाँच प्रपत्र

योजनान्तर्गत मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट का वितरण जो दिनांक– ....को जिला के .... स्थान पर प्रस्तावित हैं, के लिए उपलब्ध किट अवयवों (मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट) की भौतिक जाँच संयुक्त रूप से की गई जो जिला में रखी गई नमूना .... ISI/BIS/ISO मार्का (जो अनुमान्य हो) के अनुरूप गुणवत्तायुक्त पाया गया।

1. योजना प्रभारी का हस्ताक्षर

2. जिला मत्स्य पदाधिकारी, ...
   का हस्ताक्षर

3. उप मत्स्य निदेशक, ...
   परिक्षेत्र का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–VI

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत शत प्रतिशत अनुदान पर "मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट वितरण" जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

क्र०	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट की सं० (इकाई लागत 14500 प्रति किट)	वित्तीय लक्ष्य (राशि रुपये में)
1	2	3	4
1	पटना	100	1450000.00
2	भोजपुर	170	2465000.00
3	बक्सर	30	435000.00
4	रोहतास	60	870000.00
5	नालन्दा	40	580000.00
6	कैमूर	30	435000.00
7	गया	28	406000.00
8	जहानाबाद	30	435000.00
9	औरंगाबाद	30	435000.00
10	नवादा	30	435000.00
11	अरवल	25	362500.00
12	मुजफ्फरपुर	672	9744000.00
13	सीतामढ़ी	30	435000.00
14	पू० चम्पारण	120	1740000.00
15	प० चम्पारण	375	5437500.00
16	वैशाली	120	1740000.00
17	शिवहर	25	362500.00
18	सारण	220	3190000.00
19	गोपालगंज	50	725000.00
20	सिवान	135	1957500.00
21	दरभंगा	440	6380000.00
22	मधुबनी	260	3770000.00
23	समस्तीपुर	60	870000.00
24	सहरसा	200	2900000.00
25	सुपौल	150	2175000.00
26	मधेपुरा	60	870000.00
27	पूर्णियाँ	125	1812500.00
28	कटिहार	310	4495000.00
29	अररिया	190	2755000.00
30	किशनगंज	25	362500.00
31	भागलपुर	100	1450000.00
32	बाँका	50	725000.00
33	मुंगेर	220	3190000.00
34	जमुई	30	435000.00
35	खगड़िया	110	1595000.00
36	बेगूसराय	85	1232500.00
37	लखीसराय	50	725000.00
38	शेखपुरा	35	507500.00
	कुल योग :–	**4820**	**69890000**

नोट :– उपर्युक्त जिलावार लक्ष्य का निर्धारण जिलों से प्राप्त मत्स्य विक्रेता की संख्या के आधार पर किया गया है।

2050
08/05/25

7/5/2025
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–VII

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान पर "थ्री व्हीलर आइस बाक्स सहित वाहन" का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

क्र०	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य थ्री व्हीलर–आइस बाक्स सहित वाहन की सं० (इकाई लागत 3.00 लाख प्रति वाहन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)
1	2	3	4
1	पटना	23	34.50
2	भोजपुर	14	21.00
3	बक्सर	11	16.50
4	रोहतास	19	28.50
5	नालन्दा	20	30.00
6	कैमूर	11	16.50
7	गया	24	36.00
8	जहानाबाद	7	10.50
9	औरंगाबाद	11	16.50
10	नवादा	14	21.00
11	अरवल	5	7.50
12	मुजफ्फरपुर	16	24.00
13	सीतामढ़ी	17	25.50
14	पू० चम्पारण	27	40.50
15	प० चम्पारण	18	27.00
16	वैशाली	16	24.00
17	शिवहर	5	7.50
18	सारण	20	30.00
19	गोपालगंज	14	21.00
20	सिवान	19	28.50
21	दरभंगा	18	27.00
22	मधुबनी	21	31.50
23	समस्तीपुर	20	30.00
24	सहरसा	10	15.00
25	सुपौल	11	16.50
26	मधेपुरा	13	19.50
27	पूर्णियाँ	14	21.00
28	कटिहार	16	24.00
29	अररिया	9	13.50
30	किशनगंज	7	10.50
31	भागलपुर	16	24.00
32	बाँका	11	16.50
33	मुंगेर	9	13.50
34	जमुई	10	15.00
35	खगड़िया	7	10.50
36	बेगूसराय	18	27.00
37	लखीसराय	7	10.50
38	शेखपुरा	6	9.00
कुल योग		**534**	**801.00**

नोट :– उपर्युक्त जिलावार लक्ष्य का निर्धारण प्रत्येक प्रखंड में एक वाहन के आधार पर किया गया है।

2050
08/05/25

7/5/2025

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–VIII

1. **लाभुकों का आहर्ता एवं चयन–**

(i). मत्स्य निदेशालय के द्वारा राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में सूचना/विज्ञापन प्रकाशन कर विहित प्रपत्र में ऑनलाइन के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर आवेदन–पत्र प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक तिथि एवं समयवार सूचीबद्ध कर संधारित करेंगें। लक्ष्य से कम आवेदन प्राप्त होने पर पुनः विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किया जाएगा।

(ii). त्रुटिपूर्ण प्राप्त आवेदनों के त्रुटि सुधार हेतु सम्बन्धित आवेदकों को एक पक्ष का समय दिया जायेगा। तत्पश्चात, पूर्ण रूप से सभी अनुलग्नकों के साथ प्राप्त/समर्पित आवेदन पत्रों को ही चयन हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा संकलित किया जायेगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्रों को चयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(iii). मत्स्य बिक्रेता–आवेदक द्वारा अपने मत्स्य विक्रय स्थल/दुकान/मत्स्य वेंडिंग के साथ अपना फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज में) आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। फोटोग्राफ स्पष्ट लैंड–मार्क/विभेदक–चिन्ह के साथ जियो टैग्ड हो ताकि निरीक्षण के क्रम में सुलभता के साथ पहचान किया जा सके।

(iv). आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाईल नं० तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड अंकित किया जायेगा। आधार कार्ड नं०, बैंक खाता, मत्स्य बिक्रय कार्य करने सम्बन्धी अनुशंसा, उनका मत्स्य विक्रय स्थल/दुकान विवाद रहित है सम्बन्धी स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र (यदि प्रशिक्षित हो) आदि की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाएगा।

(v). इस योजना के तहत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य तथाअन्य वर्ग के मछुआ/अनुसूचित जाति/जनजाति/जीविका समूह/एफ०एफ०पी०ओ० जो मत्स्य बिक्री का कार्य करते हों आवेदक होंगे। आवेदक द्वारा मत्स्य विपणन/बिक्री से संबंधित साक्ष्य, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मत्स्य बिक्रेता–सदस्य अपने समिति के मंत्री अथवा अध्यक्ष तथा गैर सदस्य–मत्स्य बिक्रेता अपने किसी स्थानीय जन–प्रतिनिधि से मत्स्य बिक्री/वेंडिंग में लगे होने संबंधी अनुशंसा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

(vi). वैसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सदृश्य मत्स्य विपणन/वाहन योजना कां लाभ प्राप्त है, उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(vii). चयनित वाहन–लाभुक द्वारा इस आशय का स्वघोषित शपथ–पत्र कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा कि उन्हे पूर्व में ऐसा सदृश्य मत्स्य वाहन योजना (टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/फोर व्हीलर) का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तथा योजनान्तर्ग प्राप्त होने वाले वाहन का प्रयोग मछली विपणन/परिवहन कार्य में किया जायेगा तथा उक्त वाहन क्रय के तिथि से आगामी 5 वर्ष तक बिक्री नहीं करेंगे। साथ ही उक्त स्वघोषित शपथ–पत्र में यह भी घोषित करेंगे कि वाहन बिक्री करने की स्थिति में वे योजान्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि सम्बन्धित जिला मत्स्य कार्यालय को वापस करेंगे अन्यथा उक्त अनुदान की राशि की वसूली हेतु उनके विरूद्ध निलामपत्र–वाद दायर किया जायेगा।

(viii). आवेदक को इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र समर्पित करना होगा कि उनका मत्स्य विक्रय स्थल/दुकान विवाद रहित हैं। आवेदक द्वारा मत्स्य विक्रय कार्य किये जाने की अंतिम रूप से सम्पुष्टि क्षेत्रीय मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। क्षेत्रीय मत्स्य पदाधिकारी के

जाँच के आधार पर ही जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा आवेदक के चयन हेतु अनुशंसा किया जायेगा।

(ix). साथ ही, जाँच के क्रम में आवेदक द्वारा समर्पित/आवेदन के साथ संलग्न मत्स्य बिक्री से सम्बन्धित अनुशंसा–पत्र यदि गलत पाया जाता है, तो वैसे आवेदन–पत्र/पत्रों को चयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(x). लाभुकों का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जायेगी। मत्स्य प्रशिक्षित एवं स्वलागत से योजना के क्रियान्वयन करने वाले मत्स्य बिक्रेता–आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

(xi). उपर्युक्त वर्णित योजनान्तर्गत अगर दो या दो से अधिक पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में तथा आवेदक सभी आवश्यक आर्हताओं को पूर्ण करता हो, तो ऐसी स्थिति में जिला मत्स्य कार्यालय में विधिवत पहले वांछित त्रुटि–रहित वैध दस्तावेज/कागजात/प्रमाण–पत्र के साथ पूर्ण आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(xii). चयन के उपरांत सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी चयनित लाभुकों को चयन की लिखित सूचना देंगे तथा कार्यालय के सूचना–पट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

2. **आपूति हेतु ऐजेन्सी का चयन–**

(i). योजनान्तर्गत मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट की आपूर्ति हेतु एजेंसी का सूचिबद्ध करने की कारवाई मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा एन०एफ०डी०बी०, हैदराबाद/मत्स्य निदेशालय, बिहार पटना द्वारा Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसी में से अथवा निविदा के माध्यम से एजेंसियों का चयन कर Empanel (सूचीबद्ध) किया जाएगा।

(ii). इसी तरह योजनान्तर्गतवाहन आपूर्तिकर्त्ता एजेंसी/कंपनी/अधिकृत वाहन बिक्रता का चयन कर आपूर्ति हेतु एजेंसी का सूचिबद्ध करने की कारवाई मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा एन०एफ०डी०बी०, हैदराबाद/मत्स्य निदेशालय, बिहार Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसी/राज्य में अधिकृत वाहन बिक्रेता में से अथवा निविदा के माध्यम से एजेंसियों का चयन कर Empanel (सूचीबद्ध) किया जाएगा।

(iii). सूचीबद्ध/Empanelled एजेंसियों की सूचि सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को संसूचित की जाएगी।

(iv). जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का यह दायित्व होगा किमत्स्य निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये Empanelled (सूचीबद्ध) आपूतिकर्ता एजेंसियों की सूची विधिवत अपने कार्यालय के सूचना–पट् पर ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। इन्ही Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसियों की सूची में से योजनान्तर्गत लाभार्थी अपनी स्वेच्छा सेथ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन/ISI/BIS/ISO मार्का (जो अनुमान्य हो) मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किटसामग्री/का क्रय करेंगे।

3. **अनुदान भुगतान–**

(i). योजनान्तर्गत मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट हेतु मत्स्य निदेशालय द्वारा Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसियों की सूची में से चयनित लाभार्थी अपनी स्वेच्छा से ISI/BIS/ISO मार्का (जो अनुमान्य हो) किट सामग्री का स्वयं क्रय करेंगे।

(ii). इसी तरह थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन हेतु मत्स्य निदेशालय द्वारा Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसियों की सूचीमें से चयनित लाभार्थी अपनी स्वेच्छा से वाहन का स्वयं क्रय करेंगे।

(iii). चयनित लाभुक के द्वारा सूचीबद्ध आपूर्तिकर्त्ता एजेंसी से थ्री व्हीलर–आई बाक्स सहित वाहन/मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट का कोटेशन स्वंय प्राप्त कर जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

(iv). वाहन योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थी के द्वारा अपना अंशदान स्वयं चयनित सूचीबद्ध एजेंसी को भुगतान किये जाने संबंधी घोषणा–पत्र **(अनुलग्नक–III (ख) संलग्न)**/मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट निःशुल्क लेने से संबंधित घोषण–पत्र **(अनुलग्नक–III (क) संलग्न)** संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित करेंगे

(v). किट से संबंधित एजेंसी के द्वारा नमूना का एक सेट संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी जिसके आधार पर चयनित आवेदक को "मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट" की आपूर्ति की जाएगी।

(vi). वाहन योजना से संबंधित चयनित लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान संबंधित एजेंसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा चिन्हित एजेंसी अथवा जिला मत्स्य कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी उक्त प्राप्त राशि/ड्राफ्ट को लाभुक द्वारा चयनित एजेंसी को विधिवत उपलब्ध करायेंगे। संबंधित एजेंसी के द्वारा भी लाभार्थी के द्वारा जमा राशि का Advice समेकित रूप में जिला मत्स्य कार्यालय में जमा किया जाएगा। बिना लाभार्थी अंशदान के आवेदक को वाहन योजनान्तर्गत लाभ की अनुमान्यता नहीं होगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी एवं एजेंसी से प्राप्त क्रमशः पावती एवं Advice से मिलान किया जाएगा एवं तदुपरांत लाभुक को वाहन आपूर्ति करने हेतु कार्यादेश संबंधित एजेंसी को निर्गत की जाएगी।

(vii). इसी प्रकार जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभार्थी के घोषणा–पत्र के आलोक में लाभुक को किट आपूर्ति करने हेतु कार्यादेश संबंधित एजेंसी को निर्गत की जाएगी।

(viii). मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट एवं थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन का वितरण जिलों में Camp लगा कर किया जायेगा जिसमें उस जिला के सभी लाभार्थियों एवं एजेंसियों को बुलाया जाएगा। साथ ही उप मत्स्य निदेशक एवं प्रशासन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। Camp का आयोजन उप मत्स्य निदेशक के मार्ग–दर्शन में जिला/प्रमंडल–स्तर पर की जा सकेगी।

(ix). आपूर्तिकर्त्ता/अभिकर्त्ता के द्वारा वितरित होने वाले वाहनों का चेचीस, ईंजन के नम्बर, कैश मेमो आदि कागजात दो प्रतियों में सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा जिसका भौतिक सत्यापन के पश्चात एक प्रति लाभुक को उपलब्ध कराया जायेगा तथा दूसरा प्रति का संधारण सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

(x). मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट सामग्री का गुणवत्तापूर्ण होने की जाँच जिला में रखी गई किट/सामग्री नमूना के आधार पर समारोह से पूर्व ही योजना प्रभारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं उप मत्स्य निदेशक के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी तथा संयुक्त जाँच–पत्र पर हस्ताक्षर अंकित की जाएगी **(अनुलग्नक–V संलग्न)**।

(xi). थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन/मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट के आपूर्ति के पश्चात् लाभुक से एक **सहमति–पत्र (अनुलग्नक–IV(क) एवं IV (ख) संलग्न)** लिया जाएगा जिसमें थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन/गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्राप्त होने तथा एजेंसी को देय राशि (सब्सिडी) भुगतान किये जाने का अनुरोध जिला मत्स्य पदाधिकारी से किया जाएगा।

(xii). योजनान्तर्गत थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन/मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किटकी आपूर्ति मत्स्य निदेशालय द्वारा Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसी द्वारा किया जाएगा जिसमें वाहन/गुणवत्तापूर्ण

सामग्री आपूर्ति के पश्चात् सहायता राशि लाभार्थी के सहमति से संबंधित आपूर्तिकर्त्ता (एजेंसी) को भुगतान की जाएगी।

(xiii). योजनान्तर्गत लाभाथियों को देय अनुदान राशि का अनुमोदन उप मत्स्य निदेश्क की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा विधिवत किया जायेगा। अनुमोदनोपरान्त जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक द्वारा लाभुकों के सहमति पत्र के आलोक में लाभाथियों को देय अनुदान की राशि को सम्बन्धित एजेन्सी को भुगतान करने सम्बन्धी अपना अनुशंसा निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा लाभार्थी को देय अनुदान राशि को जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक के अनुशंसा के आलोक में सम्बन्धित एजेन्सी के बैंक खाता में विमुक्त करेंगे।

(xiv). निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना मत्स्य निदेशालय स्तर पर एक सेल गठित किया जाएगा ताकि सिंगल विन्डो के माध्यम से जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक के अनुशंसा के आलोक में सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता–एजेन्सी के बैंक खाता में अनुदान की राशि विमुक्त किया जा सके।

4. **अन्य क्रियान्वयन निदेश–**

(i) योजनान्तर्गत वितरित मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट इकाई एवं थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहनपर–

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(मत्स्य निदेशालय)

बिहार सरकार द्वारा "आर्थिक सहायता से प्रदत्त" से सम्बन्धित लोगो लगाना अनिवार्य होगा।

(ii) उपर्युक्त वर्णित योजना (मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन) हेतु उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के अध्यक्षता में गठित निम्न समिति लाभुकों के चयन, अनुदान भुगतान, एवं योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर पर होने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु सुझाव भी समय–2 पर देगी जिसमें निम्न सदस्य होगें।

1. उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र	– अध्यक्ष
2. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	– सदस्य सचिव
3. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी	– सदस्य
4. कनीय अभियंता	– सदस्य
5. मत्स्य विकास पदाधिकारी	– सदस्य।

7/5/2025

सरकार के संयुक्त सचिव